भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 121

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

बी.डी.एल. के कर्मचारियों के लिए उच्चतर पेंशन योजना

121. **श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के कर्मचारियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन और संयुक्त विकल्प प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो बीडीएल कर्मचारियों से प्राप्त ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी है और संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) कार्यालय द्वारा उन पर कार्रवाई की स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बीडीएल भविष्य निधि न्यास और आरपीएफसी बरकतपुरा ने संयुक्त विकल्पों पर कार्रवाई में देरी के संबंध में स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे प्रश्नों के समाधान में तेजी लाने और बीडीएल जैसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए उच्चतर पेंशन योजना के समबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) ने उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए 3,048 आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ईपीएफओ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में दिए गए निदेशों के अनुसार इन आवेदनों पर कार्यवाही की है और निपटान किया है।

उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए आवेदनों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निदेश और स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

****